संख्या-389/2022/आई/183749/002-41-1002-001-1-2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 29 जून, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु राजस्व मद के विभिन्न लेखाशीर्षों के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि की अवशेष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-1969/21-1-1(बजट) नजा0-32/2020-21, दिनांक 17.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- पर्यटन अनुभाग के शासनादेश दिनांक 11.04.2022 (टी0ओ0सी0-आई/155236) द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माह हेतु राजस्व मद के विभिन्न लेखाशीर्षों के अन्तर्गत प्रावधानित लेखानुदान की स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माह हेतु अनुदान सं0-44 में प्राप्त लेखानुदान के अनुसार राजस्व मद के लिए विभिन्न लेखाशीर्षों/उपशीर्षों में प्रावधानित धनराशि को निम्न तालिका के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्ष/मानक मद में उनके सम्मुख स्तम्भ-2 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

लेखाशीर्ष/मानक मद	**वित्तीय वर्ष 2022-में 23 यकव्य-प्रावधानित आय**	**वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माह के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष निवर्तन पर रखी गयी धनराशि।**	**वित्तीय वर्ष 2022-23 के शेष माहों हेतु निवर्तन पर रखी जाने वाली अवशेष धनराशि**
1	**2**	3	4
अनुदान सं0-44 लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03पर्यटन निदेशालय-नअधिष्ठा-			
01-वेतन	550.00	173.98	376.02
02मजदूरी-	5.00	01.66	03.34
03मंहगाई भत्ता-	203.50	64.38	139.12
04ययात्रा व्य-	05.00	01.66	03.34
05यरण यात्रा व्यनान्तस्था-	02.00	0.66	01.34
06 भत्तेअन्य-	0.50	0.16	0.34
07मानदेय-	0.50	0.16	0.34

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

08यकार्यालय व्य-	25.00	02.66	22.34
09विद्युत देय-	150.00	50.00	100.00
10-जलकरजल प्रभार/	06.00	02.00	04.00
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	09.00	01.66	07.34
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00	0.33	09.67
13-टेलीफोन पर व्यय	03.00	01.00	02.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	40.00	03.33	36.67
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	05.00	01.66	03.34
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	20.00	06.66	13.34
26-मशीनें और सज्जाउपकरण और संयंत्र/	05.00	01.66	03.34
29-अनुरक्षण	15.00	05.00	10.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	03.00	01.00	02.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	02.00	0.66	01.34
46-कम्प्यूटर हार्डवेयरसॉफटवेयर का / क्रय	10.00	03.33	06.67
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण न्धीम्बतत्स/ शनरी का क्रयस्टे	05.00	01.66	03.34
49-चिकित्सा व्यय	15.00	05.00	10.00
51-वर्दी व्यय	01.00	0.33	0.67
55-मकान किराया भत्ता	55.00	11.00	44.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	000.	0.00	0.00
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	35.00	03.33	31.67
	योग-03/001	**344.93**	**835.57**
अनुदान सं0-44 लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-104 संवर्धन तथा-प्रचार-03नअधिष्ठा-			
01-वेतन	1117.13	372.38	744 .75
02मजदूरी-	5.00	01.66	03.34
03मंहगाई भत्ता-	413.34	137.80	275.54
04ययात्रा व्य-	06.50	02.16	04.34
05यरण यात्रा व्यनान्तस्था-	03.00	01.00	02.00
06 भत्तेअन्य-	01.00	0.33	0.67
07मानदेय-	0.50	0.16	0.34
08यकार्यालय व्य-	07.00	02.34	04.66
09विद्युत देय-	22.00	07.34	14.66
10-जलकरजल प्रभार/	01.60	0.53	01.07
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	04.00	01.33	02.67
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	02.50	0.75	01.75
13-टेलीफोन पर व्यय	0425.	01.41	02.84
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10.00	02.33	07.67

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	02.00	0.66	01.34
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	70.00	10.00	60.00
26-मशीनें और सज्जाउपकरण और संयंत्र/	02.00	0.66	01.34
29-अनुरक्षण	03.00	01.00	02.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	02.25	0.75	01.50
45-अवकाश यात्रा व्यय	03.00	01.00	02.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयरसॉफटवेयर का / क्रय	02.50	0.83	01.67
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण न्धीम्बतत्स/ शनरी का क्रयस्टे	04.50	01.50	03.00
49-चिकित्सा व्यय	10.00	03.33	06.67
51-वर्दी व्यय	01.00	0.33	0.67
55-मकान किराया भत्ता	94.00	31.00	63.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	000.	0.00	0.00
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	30.00	0.33	29.67
	योग-03/104	**582.91**	**1239.16**
अनुदान सं0-44 लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-04 पनाअलीगढ़ फूट क्राफ्ट इंस्टिट्यूट की स्था -			
31-सहायता अनुदान-(वेतन) सामान्य	218.75	72.92	145.83
	योग-04/104	**72.92**	**145.83**
अनुदान सं0-44 लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-104 संवर्धन तथा-प्रचार-08पर्यटन पुलिस बल का गठन-			
वसायिक तथा विशेष व्या-16 सेवाओं के लिए भुगतान	300.00	100.00	200.00
य व्यअन्य-42	10.00	03.33	06.67
	योग-08/104	**103.33**	**206.67**
अनुदान सं0-44 लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-य व्यअन्य-13 र प्रदेश ब्रज तीर्थउत्त-परिषद, मथुरा			
-सहायता अनुदान-20 (गैर वेतन) सामान्य	150.00	50.00	00.00
-सहायता अनुदान-31 (वेतन) सामान्य	200.00	69.32	130.68
	योग-13/800	**119.32**	**130.68**

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। विभाग के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग की जाय तथा यथासंभव व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए समान रूप से ही की जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) पूर्व में निवर्तन पर रखी गयी धनराशि एवं वर्तमान में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का सक्षम स्तर से अनुमोदित उपयोगिता प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 3452800010300 **(**अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय **)**

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	01 वेतन	3,76,02,000 (रुपये तीन करोड़ छिहत्तर लाख दो हजार मात्र)
2	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	02 मजदूरी	3,34,000 (रुपये तीन लाख चौंतीस हजार मात्र)
3	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	03 मंहगाई भत्ता	1,39,12,000 (रुपये एक करोड़ उनतालीस लाख बारह हजार मात्र)
4	044	3452800010300	04	3,34,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	यात्रा व्यय	(रुपये तीन लाख चौंतीस हजार मात्र)
5	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,34,000 (रुपये एक लाख चौंतीस हजार मात्र)
6	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	06 अन्य भत्ते	34,000 (रुपये चौंतीस हजार मात्र)
7	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	07 मानदेय	34,000 (रुपये चौंतीस हजार मात्र)
8	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	08 कार्यालय व्यय	22,34,000 (रुपये बाईस लाख चौंतीस हजार मात्र)
9	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	09 विद्युत देय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
10	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	10 जलकर / जल प्रभार	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
11	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	7,34,000 (रुपये सात लाख चौंतीस हजार मात्र)
12	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	9,67,000 (रुपये नौ लाख सड़सठ हजार मात्र)
13	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	13 टेलीफोन पर व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
14	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	36,67,000 (रुपये छत्तीस लाख सड़सठ हजार मात्र)
15	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3,34,000 (रुपये तीन लाख चौंतीस हजार मात्र)
16	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	13,34,000 (रुपये तेरह लाख चौंतीस हजार मात्र)
17	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	3,34,000 (रुपये तीन लाख चौंतीस हजार मात्र)
18	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	29 अनुरक्षण	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
19	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
20	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,34,000 (रुपये एक लाख चौंतीस हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		निदेशालय		
21	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	6,67,000 (रुपये छह लाख सड़सठ हजार मात्र)
22	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3,34,000 (रुपये तीन लाख चौंतीस हजार मात्र)
23	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	49 चिकित्सा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
24	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	51 वर्दी व्यय	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
25	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	55 मकान किराया भत्ता	44,00,000 (रुपये चवालीस लाख मात्र)
26	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	31,67,000 (रुपये इकतीस लाख सड़सठ हजार मात्र)
	कुल			**8,35,57,000 (रुपये आठ करोड़ पैंतीस लाख सत्तावन हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3452801040300 (अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	044	3452801040300 अधिष्ठान	01 वेतन	7,44,75,000 (रुपये सात करोड़ चवालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)
2	044	3452801040300 अधिष्ठान	02 मजदूरी	3,34,000 (रुपये तीन लाख चौंतीस हजार मात्र)
3	044	3452801040300 अधिष्ठान	03 मंहगाई भत्ता	2,75,54,000 (रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख चौवन हजार मात्र)
4	044	3452801040300 अधिष्ठान	04 यात्रा व्यय	4,34,000 (रुपये चार लाख चौंतीस हजार मात्र)
5	044	3452801040300 अधिष्ठान	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
6	044	3452801040300 अधिष्ठान	06 अन्य भत्ते	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
7	044	3452801040300 अधिष्ठान	07 मानदेय	34,000 (रुपये चौंतीस हजार मात्र)
8	044	3452801040300 अधिष्ठान	08 कार्यालय व्यय	4,66,000 (रुपये चार लाख छियासठ हजार मात्र)
9	044	3452801040300 अधिष्ठान	09 विद्युत देय	14,66,000 (रुपये चौदह लाख छियासठ हजार मात्र)
10	044	3452801040300 अधिष्ठान	10 जलकर / जल प्रभार	1,07,000 (रुपये एक लाख सात हजार मात्र)
11	044	3452801040300	11	2,67,000

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		अधिष्ठान	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	(रुपये दो लाख सड़सठ हजार मात्र)
12	044	3452801040300 अधिष्ठान	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,75,000 (रुपये एक लाख पचहत्तर हजार मात्र)
13	044	3452801040300 अधिष्ठान	13 टेलीफोन पर व्यय	2,84,000 (रुपये दो लाख चौरासी हजार मात्र)
14	044	3452801040300 अधिष्ठान	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7,67,000 (रुपये सात लाख सड़सठ हजार मात्र)
15	044	3452801040300 अधिष्ठान	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,34,000 (रुपये एक लाख चौंतीस हजार मात्र)
16	044	3452801040300 अधिष्ठान	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
17	044	3452801040300 अधिष्ठान	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1,34,000 (रुपये एक लाख चौंतीस हजार मात्र)
18	044	3452801040300 अधिष्ठान	29 अनुरक्षण	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
19	044	3452801040300 अधिष्ठान	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
20	044	3452801040300 अधिष्ठान	45 अवकाश यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
21	044	3452801040300 अधिष्ठान	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,67,000 (रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र)
22	044	3452801040300 अधिष्ठान	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
23	044	3452801040300 अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	6,67,000 (रुपये छह लाख सड़सठ हजार मात्र)
24	044	3452801040300 अधिष्ठान	51 वर्दी व्यय	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
25	044	3452801040300 अधिष्ठान	55 मकान किराया भत्ता	63,00,000 (रुपये त्रेसठ लाख मात्र)
26	044	3452801040300 अधिष्ठान	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	29,67,000 (रुपये उन्तीस लाख सड़सठ हजार मात्र)
	कुल			**12,39,16,000 (रुपये बारह करोड़ उनतालीस लाख सोलह हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3452801040400 (अलीगढ़ फूड क्राफट इन्स्टीट्यूट की स्थापना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	044	3452801040400 अलीगढ़ फूड क्राफट इन्स्टीट्यूट की स्थापना	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	1,45,83,000 (रुपये एक करोड़ पैंतालीस लाख तिरासी हजार मात्र)
	कुल			**1,45,83,000 (रुपये एक करोड़ पैंतालीस लाख**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

				तिरासी हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 3452801040800 (पर्यटन पुलिस बल का गठन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	044	3452801040800 पर्यटन पुलिस बल का गठन	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
2	044	3452801040800 पर्यटन पुलिस बल का गठन	42 अन्य व्यय	6,67,000 (रुपये छह लाख सड़सठ हजार मात्र)
	कुल			**2,06,67,000 (रुपये दो करोड़ छह लाख सड़सठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 3452808001300 (उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ परिषद, मथुरा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	044	3452808001300 उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ परिषद, मथुरा	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	1,30,68,000 (रुपये एक करोड़ तीस लाख अड़सठ हजार मात्र)
	कुल			**1,30,68,000 (रुपये एक करोड़ तीस लाख अड़सठ हजार मात्र)**

महायोग	25,57,91,000 (रुपये पच्चीस करोड़ सत्तावन लाख इक्यानबे हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या-389/2022/आई/183749/002-41-1002-001-1-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0 प्र0, लखनऊ।
4. उपाध्यक्ष, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उ0 प्र0, मथुरा।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उ0 प्र0, मथुरा।
6. संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. उप निदेशक (नजा0), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-3, 4, 5, 6, 7 व 9 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
9. प्रधानाचार्य अलीगढ़ फूट क्राफ्ट इंस्टिट्यूट, उ0 प्र0, अलीगढ़।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।